# न्यायालय–सिविल जज सिनियर डिवीजन प्रथम, डुमरॉव

**स्वत्व वाद सं0 – 810 /2022**

**राजु प्रसाद...............................वादी।**

**बनाम्**

**गोपाल प्रसाद वगैरह्................................प्रतिवादीगण।**

## आदेश

**26.05.2025**

उभय पक्षों की हाजिरी है। पुकार पर उभय पक्ष के विद्वान अधिवक्ता न्यायालय में उपस्थित हुये। वादी के तरफ से दाखिल आवेदन दिनांक 19.08.2024 अंतर्गत आदेश 22 नियम 04 सी0पी0सी0 को प्रचालित करते हुये वादी के विद्वान अधिवक्ता यह कथन करते हैं कि इस वाद के प्रतिवादी सं0 02 मु0 शांति देवी की मृत्यु दिनांक 16.06.2024 को हो चुकी है तथा अनुरोध करते हैं कि मृत प्रतिवादी सं0 02 मु0 शांति देवी का नाम कलमजद करते हुए उनके जगह पर उनके कानूनी वारीसान रिता देवी, खुशबु कुमारी, अनु कुमारी का नाम प्रतिस्थापित करने का आदेश दिया जाय। वादी के विद्वान अधिवक्ता यह भी कथन करते है कि मृतक के एक मात्र पुत्र प्रतिवादी सं0 03 के रूप में कायम है।

प्रतिवादी के तरफ से दिनांक 17.02.2025 को प्रति–उत्तर दाखिल है जिसमें उनके विद्वान अधिवक्ता यह कथन करते हैं कि कानून एवं तथ्य की दृष्टि से पोषणीय नहीं है। वादी का आवेदन में पुत्रीयों का ससुराल का पता नहीं दिया गया है तथा आवेदन गलत व अधूरा होने से खारिज होने योग्य है।

उभय पक्षों को सुना तथा अभिलेख का अवलोकन किया। अवलोकन से स्पष्ट होता है कि वादी द्वारा दाखिल आवेदन शपथ पत्र से समर्थित है समय सीमा के अंतर्गत दाखिल किया गया है। अतः वादी के तरफ से दाखिल आवेदन दिनांक 19.08.2024 अंतर्गत आदेश 22 नियम 04 सी0पी0सी0 को न्यायहित में स्वीकृत किया जाता है तथा मृत प्रतिवादी सं0 02 मु0 शांति देवी का नाम कलमजद करने का आदेश दिया जाता है तथा उनके कानूनी वारीसान रिता देवी, खुशबु कुमारी, अनु कुमारी का नाम मृत वादी के नाम के स्थान पर प्रतिस्थापित करने का आदेश दिया जाता है। कार्यालय मृत प्रतिवादी सं0 02 मु0 शांति देवी का नाम कलमजद करें तथा उनके कानूनी वारीसान रिता देवी, खुशबु कुमारी, अनु कुमारी का नाम मृत प्रतिवादी के नाम के स्थान पर प्रतिस्थापित करें। वादी नए प्रतिस्थापित प्रतिवादीगण की उपस्थिति हेतू आपेक्षिकांए दाखिल करें तत्पश्चात कार्यालय नोटिस निर्गत करें।

दिनांक–23.06.2025 वास्ते पर उपस्थिति हेतू।

**लेखापित**

**(गौरी शंकर)**
**सिविल जज सिनियर डिवीजन प्रथम,**
**डुमरॉव (बक्सर)**